

कार्यालय वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
पत्र संख्या 1117 / 13-2 दिनांक, नैनीताल, 26-11-2021.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:- नैनीताल से खैरना पुल-काकड़ीघाट सुयालबाड़ी तक ओ०एफ०सी० बिछाने हेतु प्रस्ताव संख्या FP/UK/OFC/140824/2001 के सम्बन्ध में।
संदर्भ:- आपका ई०डी०एस० दिनांक 25-06-2021. प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग की पत्र संख्या:- 1655/13-1 दिनांक 17-11-2021.

महोदय,

नैनीताल से खैरना पुल-काकड़ीघाट सुयालबाड़ी तक ओ०एफ०सी० बिछाने हेतु प्रस्ताव संख्या FP/UK/OFC/140824/2001 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने उक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया कि, नैनीताल से खैरना पुल काकड़ीघाट सुयालबाड़ी मोटर मार्ग लगभग 09 मीटर चौड़ाई में निर्मित है, एवं स्थानीय सूचना के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने से पूर्व निर्मित है।

अतः उक्तानुसार सूचना सादर प्रेषित।

भवदीय,

वन संरक्षक,

दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड, नैनीताल।

पत्र संख्या- (1) / दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल को उनके उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक,

दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड, नैनीताल।